खारिज
24.09.2024

फर्द अहकाम

2024/593

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मोहरसिंह बनाम हंसराज

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 161 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06.09.2024	प्रार्थी मोहरसिंह की तरफ से वकील श्री अनिल सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा कुलचासर के ख.नं. 135/2 की 5.009 है., 239/1 की 3.339 है., 291/247 की 1.214 है. कुल 9.562 है. में से अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा व रोही मौजा कुलचासर के ख.नं. 247 की 4.807 है. भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 07.10.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
24.9.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी लिखित कि प्रार्थी व अप्रार्थी के राजीनामा होने कारण प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं अतः प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	राजीनामा होने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं L.T.I. मोहरसिंह प्रार्थी 24/9/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.01 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested